मध्य प्रदेश शासन,
पर्यावरण विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

//अधिसूचना//

भोपाल, दिनांक 01/09/ ~~अगस्त~~ 2017

क्रमांक 2158 /2396/2017/18-5- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) मध्य प्रदेश नियम 1975 की विज्ञप्ति क्रमांक 3816 दिनांक 8 दिसम्बर 1975, यथा संशोधित दिनांक 15.4.2013 में निम्नांकित संशोधन करता है :-

उपयुक्त नियमों के नियम 7 के उप नियम (4) नियम 9 के उपनियम (6) तथा नियम 12 के अधीन प्रत्यायोजित शक्तियों के स्थान पर निम्न उपाबन्ध प्रतिस्थापित किया जाये अर्थात :

उपाबन्ध

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) मध्य प्रदेश नियम 1975 के नियम 7 के उप नियम (4) नियम 9 के उपनियम (6) तथा नियम 12 के अधीन शक्तियों का प्रत्यायोजन :-

क्र	शक्तियों की विशिष्टियाँ	सदस्य सचिव की शक्तियाँ	अध्यक्ष की शक्तियाँ	बोर्ड की शक्तियाँ
1	2	4	3	5
1	समस्त यात्राओं हेतु अनुमति, यात्रा देयकों तथा चिकित्सा देयकों पर स्वीकृति प्रदान करना ।	बोर्ड के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के अधिकारियों-कर्मचारियों के संबंध में पूर्ण शक्तियाँ ।	1 अपने स्वयं, सदस्य सचिव एवं बोर्ड के अशासकीय सदस्यों हेतु 2. समस्त अधिकारियों कर्मचारियों हेतु विदेश यात्रा ।	कुछ नहीं
2	अतिरिक्त धारित पद के कार्य हेतु विशेष वेतन मंजूर करना	द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में पूर्ण शक्तियाँ ।	प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के लिये पूर्ण शक्तियाँ ।	कुछ नहीं
3	आवृती एवं अनावर्ती स्वरूप की आकस्मिक सामग्री क्रय हेतु व्यय मंजूर करना	एक बार में रूपये एक लाख तक	एक बार में रूपये दो लाख तक	पूर्ण शक्ति
4	दर अथवा भाव आमंत्रित किये बिना स्थानीय बाजार से खरीदी	एक समय में स्थानीय बाजार से किसी ऐसी एक वस्तु की खरीदी	एक समय में स्थानीय बाजार से किसी ऐसी एक वस्तु की खरीदी	कुछ नहीं

267

		नगद रूप में कर सकेंगे जिसका मूल्य रूपये दस हजार तक	नगद रूप में कर सकेंगे जिसका मूल्य रूपये बीस हजार तक	
5	भवनों को भाड़े पर लेना	एक भवन हेतु रूपये पचास हजार प्रतिमाह तक	सम्पूर्ण शक्तियाँ ।	कुछ नहीं
6	पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकाओं की खरीद	रूपये दस हजार प्रतिमाह तक	रूपये बीस हजारप्रतिमाह तक	सम्पूर्ण शक्तियाँ ।
7	बेकार माल के बट्टे खाते में डालना	प्रत्येक मामले में रूपये बीस हजार (अपलेखित मूल्य की)	प्रत्येक मामले में रूपये एक लाख (अपलेखित मूल्य की)	सम्पूर्ण शक्तियाँ ।
8	सिविल निर्माण कार्यो के अनुमानों का अनुमोदन एवं प्रशासकीय, वित्तीय व भुगतान की स्वीकृति	एक वार में रूपये एक करोड़ तक	एक वार में रूपये दो करोड़ तक	पूर्ण शक्तियाँ
9	आहार-विहार, आतिथ्य तथा बोर्ड के कार्यकलापों के संबंधी विविध मदों पर व्यय की मंजूरी देना	एक वार में रूपये एक लाख से तक ।	एक वार में रूपये दो लाख तक ।	पूर्ण शक्तियाँ
10	सभी प्रकार की कार्यालयीय व प्रयोगशालायीन व अन्य सामग्री व सेवाओं इत्यादि की खुली निविदाओं की स्वीकृति एवं इस हेतु प्रशासकीय, वित्तीय, क्रय व भुगतान की स्वीकृति	एक वार में रूपये पचास लाख तक	एक वार में रूपये एक करोड़ तक	पूर्ण शक्तियाँ
11	विभागीय क्रय समिति के माध्यम से कोटेशन के आधार पर क्रय, सर्वे रिपोर्ट या अन्य कार्य	एक वार में रूपये पचास हजार तक	एक वार में रूपये एक लाख तक	पूर्ण शक्तियाँ
12	विज्ञापन, प्रकाशन, मुद्रण, सर्वे इत्यादि कार्य को मंजूरी देना	एक वार में रूपये एक लाख	एक वार में रूपये तीन लाख	पूर्ण शक्तियाँ
13	सामग्रियों को अतिशेष/बेकार घोषित करना, उनका मूल्य नियत करना	प्रत्येक मामले/वस्तु हेतु रूपये पचास हजार (अपलेखित मूल्य तक)	प्रत्य मामले/वस्तु हेतु रूपये एक लाख (अपलेखित मूल्य तक)	पूर्ण शक्तियाँ
14	खरीदी के मदों से भिन्न आपातकालीन निर्माण कार्यों के लिये व्यय	रूपये एक लाख तक	रूपये पांच लाख तक	पूर्ण शक्तियाँ
15	एकल निविदा के माध्यम से सामग्री, उपकरण, प्रोपरायटरी आईटम का क्रय, सर्वे इत्यादि कार्य एवं रख-रखाव अनुबंध	एक वार में रूपये पांच लाख तक	एक वार में रूपये दस लाख तक	पूर्ण शक्तियाँ

16	विलम्ब शुल्क घाटा, भाड़ा की मंजूरी	रूपये पचास हजार तक	रूपये एक लाख तक	पूर्ण शक्तियाँ
17	निधियों का विनिधान अथवा विनियोजन	एक बार में रूपये एक करोड़ तक	पूर्ण शक्तियाँ	--
18	अधिकारियों/ कर्मचारियों को समस्त प्रकार के अग्रिमों का भुगतान	पूर्ण शक्तियाँ	--	--
19	सेमिनार, विज्ञान गोष्ठी, कार्यशाला, मेला, जन-जागृति इत्यादि के आयोजन की अनुमति	एक बार में रूपये पांच लाख	एक बार में रूपये दस लाख	पूर्ण शक्तियाँ
20	मुख्यालय स्तर पर अधिकारियों/ कर्मचारियों के मध्य कार्य विभाजन	सम्पूर्ण शक्तियाँ	--	--
21	वार्षिक वेतन वृद्धियाँ मंजूर करना	सम्पूर्ण शक्तियाँ	--	--
22	दक्षतारोध को पार करने की मंजूरी देना	सम्पूर्ण शक्तियाँ	--	--
23	सभी प्रकार के अवकाश तथा सेवाकाल के भीतर अध्ययन अवकाश मंजूर करना	सम्पूर्ण शक्तियाँ	--	--
24	वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियमों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही करने व लघु तथा दीर्घ शास्ति अधिरोपित करना, वेतनवृद्धि रोकना, पदोन्नति से वंचित करना, सेवा से बर्खास्त करना इत्यादि की शक्ति	प्रथम श्रेणी, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में पूर्ण शक्तियाँ ।	पूर्ण शक्तियाँ	--
25	गोपनीय रिपोर्टों को मंजूरी देना	द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी ।	प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के संबंध में स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी ।	--

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(राजीव शर्मा)
अपर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
पर्यावरण विभाग,

265

पृ. क्रमांक 2693/2396/2017/18-5 भोपाल, दिनांक 09-08-/अगस्त 2017

प्रतिलिपिः-

1. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, मैदा मिल रोड, भोपाल की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त अधिसूचना को आगामी राजपत्र में प्रकाशित करने का कृपया कष्ट करें।
2. अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल ।
3. सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर उनके पत्र क्र02092/स्था/प्रनिबो/2017, दिनांक 8/8/2017 के संदर्भ में ।

अपर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
पर्यावरण विभाग,